मूर्खता के खिलाफ... अच्छी फिल्म...!

यह भारतीय सिनेमा के लिए अच्छा दौर है, भले ही सेंसर बोर्ड अपने नजरिये की वजह से कई फिल्मों पर कैंची चला रहा है। अंधेरे से ही उजाले की परख होती है, इसलिए अंधेरी सुरंगों से होता हुआ प्रकाश नजर आने लगा है, जो ऐसी सोच की तरफ ले जा रहा है, जहां निराशा और मुश्किलों से गुजरते हुए, खुशनुमा वसंत आने वाला है। यकीनन, भारतीय सिनेमा की कहानियां अब समझ से लिखी जा रही हैं, जो मूर्खता के खिलाफ लड़ाई है और ये फिल्में अच्छे मुकाबले में भी बनी रह सकती हैं। दूसरी ओर कुछ निर्माता अपनी फिल्म पर कैंची चलते ही चिल्लाने लगते हैं। वे सेंसर बोर्ड को बताना चाहते हैं कि वे चुप नहीं रहेंगे।

चेन्नै से गौतमन भास्करन

यह फिल्म बंगाल के धनंजय चटर्जी पर है, जिसे रेप के आरोप में फांसी दी गई थी। यह फिल्म अरिंदम सिल बंगाली में बना रहे हैं, जिसकी शुरुआत ग्यारह अगस्त से हुई है। फिल्म में धनंजय चटर्जी की दु:खद कहानी है, जो कोलकाता की ऊंची बिल्डिंगों से होती हुई कोर्ट के कटघरे तक घूमती है। 1990 में स्कूली लड़की हेतल पारेख के रेप और हत्या से जुड़े मामले में धनंजय को चौदह साल बाद, चौदह अगस्त 2014 को लंबी सुनवाई के बाद फांसी दी गई थी।

इस दौरान जो कुछ भी घटा, वह बहुत ही परेशान कर देने वाला था और इस घटना के दौरान कहानी उस समय के पश्चिम बंगाल के सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनकी पत्नी मीरा से होते हुए फांसी के फंदे तक जाती है। कई लोग, धनंजय की

मासूमियत को देखते हुए उसे फांसी से बचाना चाहते थे। इन लोगों ने सबूतों की कई बातें कही और मीडिया ट्रायल तक किया।

अरिंदम कहते हैं कि धनंजय के साथ जो कुछ हुआ, उसमें उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय भी छिपा है, जो मैं महसूस करता हूं। मैंने इस पर शोध किया, खोजबीन की, लोगों से मिला-जुला, किताबें भी खंगालीं। धनंजय के परिवार से भी मिला और उन लोगों से भी बातें की, जिन्होंने कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी थी। मुझे महसूस हुआ कि इन गवाहों से कोई गलती हुई है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में लिखे कागजों पर हस्ताक्षर किए थे, जो बतौर सबूत पेश किए गए और ताज्जुब यह था कि इन लोगों को अंग्रेजी ही नहीं आती थी। सोचो, धनंजय के परिवार पर क्या बीती होगी, जब पुलिस और मीडिया वाले लगातार शोर मचाए थे। वे किस डर में जी रहे थे। अरिंदम सिल कहते हैं कि कोई ठोस सबूत नहीं था। जिस लड़की की हत्या हुई, उसकी टिश्यू कल्चर जांच नहीं की गई। इस मामले में कई गलतियां हुईं। धनंजय के परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वे यह लड़ाई लड़ पाते। ऐसे में मुझे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की एक बात याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'मौत की सजा उन लोगों के लिए है, जिनके पास दौलत नहीं है।'

अरिंदम जब धनंजय के परिवार से मिले, तो वे हेतल की तस्वीर नहीं पहचान सके। वे लोग मुंबई जाकर बस गए हैं। इधर, हेतल के पिता नहीं रहे और मां भी अब होश में नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि फिल्म **'धनंजय'** इस मामले को नए नजरिये से सोचने को मजबूर करेगी कि क्या गार्ड दोषी था, जिसने हेतल को देखा या धनंजय निर्दोष था? शायद समय हमें बताएगा।